कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-:प्रेस नोटः-

राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 02.04.18 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु दिनांक 20.04.18 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । इस सम्बन्ध में विदित हो कि अन्तर्जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में जमा करवाये जाने हैं।

स्थानांतरण हेतु आवेदन निदेशालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल के माध्यम से जमा करवाये जा सकते है।

स्थानान्तरण हेतु आवेदन का प्रारूप एवं समान्य शर्ते विभागीय वेबसाईट **http://education. rajasthan.gov.in/content/raj/education/elementary-education /hi / home.html** से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन अपने पहचान पत्र की प्रति के साथ

1. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के कमरा नंम्बर 03 में कार्यालय समय में (राजपत्रित अवकाश को छोड कर) जमा करवा सकते है। अथवा
2. कार्यालय की ई-मेल आईडी ***transferapplicationele 2018@gmail.com*** पर भेज सकेंगे । आवेदक अपने स्थानांतरण आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में भी भेजेंगे ।

4.4.18
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/शिक्षक-संस्थापन/एफ-6/ स्थानान्तरण नीति/2018 दिनांक 04.04.18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सम्पादक महोदय राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को राज्य स्तरीय अंक में जनहित में प्रकाशनार्थ।
2. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ

4-4-18
उप निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/स्था/वोल–I/2018 दिनांक–04/04/2018

विज्ञप्ति

कार्यालय की सम संख्यक विज्ञप्ति दिनांक 03/04/2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान में कार्यरत अध्यापकों (ग्रेड–III) के स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे । राज्य सरकार के पत्रांक प.5(5)प्राशि/2018 जयपुर दिनांक 04/04/18 के कम में सूचित किया है कि स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र कार्यालय स्तर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा e-mail के माध्यम से दिनांक 20/04/2018 तक सम्बन्धित कार्यालय में प्रेषित किये जा सकते है । उक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापक जो प्रारम्भिक शिक्षा में पदस्थापित है एवं जिनकी 6डी हो चुकी है अथवा राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के तहत पदस्थापित है तथा वे माध्यमिक शिक्षा विभाग में अन्तः जिला/अन्तर जिला स्थानान्तरण चाहते है तो उनके अन्तः जिला स्थानान्तरण आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) में प्रस्तुत किये जा सकेगें एवं अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेगें ।

- आवेदन पत्र व्यक्तिगत निर्धारित परिशिष्ट 'अ' या 'ब' जो भी लागू है में ही स्वीकार होंगे ।
- अंतः जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक कार्यालयों में व्यक्गित रूप से अथवा उस कार्यालय के अधिकृत e-mail पते पर प्रेषित किये जा सकते है ।
- अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नए प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर–15 में व्यक्तिगत रूप से अथवा विभाग के (ई मेल आडी) **grade3transfer@gmail.com** पते पर e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जा सकते है
- यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में कोई भी सूचना गलत/मिथ्या अंकित करना पाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाकर सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।
- e-mail से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र को प्रार्थी अपनी स्वयं की e-mail से कम्प्यूटर के माध्यम से स्कैन कर के भेजें । प्राप्त मेल अपठनीय होने की स्थिति में अस्वीकार किये जा सकते है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी ।
- आवेदक आवेदन पत्र में माबोइन नम्बर का इन्द्राज कर अपनी मान्य पहचान पत्र (कोई एक) की स्वयं हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करें ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।